राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1174/2008/जयपुर.

मैसर्स हैप्पी फ्रेट कैरियर्स, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

1. उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर.
2. वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, अलवर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 20/03/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स)–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 750/आरएसटी/एनआरडी/2001–02 में पारित किये गये आदेश दिनांक 25.09.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, अलवर (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 78(5) के तहत पारित आदेश दिनांक 01.03.2002 से आरोपित शास्ति रूपये 49,569/– की पुष्टि की है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 20.02.2002 को वाहन संख्या आर.जे.14/जी–3213 को शाहजहांपुर चैकपोस्ट से दो किलोमीटर आगे जीप से पीछा कर चैक किया गया। वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार दिल्ली से जयपुर के लिये माल परिवहनित किया जा रहा था। दस्तावेजों की जांच पर चैकपोस्ट शाहजहांपुर की मोहर अंकित नहीं पायी गयी, साथ ही वाहन में परिवहनित माल कॉपर वायर से सम्बन्धित कोई दस्तावेज नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त वाहन में परिवहनित वैनिसिंग ब्लाईन्स, अटैची व जूट से सम्बन्धित दस्तावेज संदिग्ध प्रतीत हुए। इस पर सक्षम अधिकारी द्वारा माल परिवहन में अधिनियम की धारा 78(2) के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए शास्ति आरोपण हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्राप्ति के आधा घण्टा पश्चात माल प्रभारी द्वारा कॉपर वायर से सम्बन्धित चालान संख्या 3713, बिल्टी संख्या 12366, बिल संख्या 147 दिनांक 19.02.2002 एवं घोषणा पत्र एस.टी.18ए संख्या 37070/25 कीमतन रूपये 1,47,825/– पेश किये गये। सक्षम अधिकारी ने

लगातार.....2

उक्त दस्तावेजों को अस्वीकार किया गया। साथ ही वैनिसिंग ब्लाईन्स, अटैची व जूट से सम्बन्धित दस्तावेजों की विभागीय फ्लॉपी से जांच की जाने पर दिल्ली के विक्रेता व्यवहारी बोगस पाये गये। इस प्रकार सक्षम अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 78(5) के तहत आदेश दिनांक 01.03.2002 पारित करते हुए शास्ति रूपये 49,569/— का आरोपण किया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.09.2007 से अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि वक्त जांच माल से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे, जिनमें किसी प्रकार की त्रुटि सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं बताई गई है। शास्ति का आरोपण इस आधार पर किया गया है कि दस्तावेजों पर चैकपोस्ट शाहजहांपुर की मोहर अंकित नहीं करवाई गई है तथा वाहन का पीछा किया जाकर चैक किया गया है। इस सम्बन्ध में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत जवाब में स्पष्ट कर दिया गया था कि वाहन चालक नया होने से उसे चैकपोस्ट का ज्ञान नहीं था तथा विक्रेता व्यवहारियों के पंजीयन प्रमाण—पत्रों की प्रतियां भी सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दी गयी थी। अधिनियम की धारा 78(2) के तहत वांछित दस्तावेजों के साथ माल का परिवहन किया जा रहा था। अपीलार्थी व्यवहारी की करापवंचन की कोई मानसिकता नहीं थी। ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतया विधिविरूद्ध है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा भी शास्ति आदेश की पुष्टि किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने सक्षम अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. प्रकरण में वक्त जांच कॉपर वायर से सम्बन्धित कोई दस्तावेज नहीं पाया गया, जो कि कारण बताओ नोटिस की पालना में प्रस्तुत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त अन्य माल वैनिसिंग ब्लाईन्स, अटैची व जूट से सम्बन्धित दस्तावेजों के विक्रेता व्यवहारियों की विभागीय फ्लॉपी से जांच की जाने पर विक्रेता बोगस पाये गये। साथ ही चैकपोस्ट शाहजहांपुर पर माल के दस्तावेजों का इन्द्राज भी नहीं करवाया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि माल का परिवहन

लगातार.....3

बोगस दस्तावेजों से किया जा रहा था, जिसमें अधिनियम की धारा 78(2) के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना प्रमाणित है। अतः सक्षम अधिकारी द्वारा शास्ति का आरोपण किये जाने में एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति आदेश की पुष्टि किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है।

6. परिणामतः अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है।

7. निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष